भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3967
दिनांक 25 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पशु कल्याण में जन जागरूकता और भागीदारी

3967. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

श्रीमती भारती पारधीः

श्री नव चरण माझीः

श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः

श्री दिनेशभाई मकवाणाः

श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पशु कल्याण पहलों के अंतर्गत विशेषकर स्कूली बच्चों के बीच जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जैसा कि पशुधन-प्रदाय कार्यक्रम में उल्लिखित है;

(ख) पशु कल्याण कानूनों के महत्व के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने तथा उत्तर प्रदेश के अमरोहा सहित विभिन्न राज्यों में उनका प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ग) क्या सड़कों पर छोड़े गए पशुओं की संख्या कम करने के लिए पालतू पशुओं के स्वामित्व और प्रजनन के लिए सख्त नियम लागू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 9(ट) के तहत, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) का एक प्रमुख कार्य पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार के बारे में शिक्षा प्रदान करना और पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुँचाने के खिलाफ जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह कार्य विभिन्न माध्यमों से किए जाते हैं, जिसमें व्याख्यान, पुस्तकें, पोस्टर, सिनेमैटोग्राफिक प्रदर्शनियाँ और बहुत से कार्यकलाप शामिल हैं। पशु कल्याण पहलों में, विशेष रूप से स्कूली बच्चों के बीच जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए, उठाए गए विभिन्न कदम, अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ख) एडब्ल्यूबीआई विभिन्न दिशा-निर्देश, विनियम और पुस्तिकाएं प्रकाशित कर रहा है ताकि पशु कल्याण कानूनों से संबंधित मुद्दों पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जा सके। एडब्ल्यूबीआई ने पशु कल्याण कानूनों से संबंधित मुद्दों पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, दिनांक 19.10.2024 को पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, थानिसांद्रा, बेंगलुरु में पशु कल्याण कानूनों पर पुलिस अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान, पशु कल्याण का महत्व, पीसीए अधिनियम, 1960, पशुओं के वध और परिवहन संबंधी विनियम, एबीसी नियम और व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा केस स्टडी संबंधी सत्र शामिल किए गए। पशु कल्याण कानूनों और नियमों के क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए अपने व्याख्यान दिए। पुलिस अधीक्षक और प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल और उनकी टीम ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन में समन्वय किया।

एडब्ल्यूबीआई ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए चार पुस्तकें प्रकाशित की हैं:

i. पशु कल्याण कानूनों पर कानून प्रवर्तन पुस्तिका
ii. शहरी स्थानीय निकायों के लिए पशु कानून पुस्तिका
iii. पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए पशु कल्याण कानूनों संबंधी पुस्तिका
iv. स्ट्रीट डॉग्स की आबादी का प्रबंधन, रेबीज उन्मूलन और मानव-कुत्ते संघर्ष को कम करने के लिए संशोधित पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) मॉड्यूल।

एडब्ल्यूबीआई, देश के विभिन्न भागों से पशुओं के प्रति क्रूरता के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर, संबंधित राज्य सरकारों और जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों/जिला पुलिस अधीक्षकों के समक्ष मामले को उठा रहा है और उन्हें मौजूदा पशु कल्याण कानूनों के बारे में जागरूक कर रहा है ताकि क्रूरता के मामलों की जांच की जा सके। राज्य प्राधिकरणों को पशुओं के प्रति क्रूरता करने वाले अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है।

अमरोहा, उत्तर प्रदेश में जागरूकता के लिए जारी किए गए पत्रों का विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

(ग) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अनुसार, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसकी देख-रेख या भारसाधन में कोई पशु है, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे पशु का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाने का निवारण करने के लिए सभी समुचित उपाय करे।

इसके साथ ही, पीसीए अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(i) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति, उचित कारण के बिना, किसी पशु को ऐसी परिस्थिति में परित्यक्त कर देगा जिससे यह संभाव्य हो कि उसे भुखमरी या प्यास के कारण पीड़ा पहुंचे; तो वह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो दस रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा और पिछले अपराध के किए जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए जाने वाले दूसरे अथवा अनुवर्ती अपराध के मामले में, जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, पशुओं का संरक्षण, सुरक्षा और सुधार तथा पशु रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास राज्य सूची में आते हैं, जिस पर राज्य को सातवीं अनुसूची की सूची II में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। तदनुसार, स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वे आवारा पशुओं की देखभाल करें और अपने-अपने नगरपालिका क्षेत्रों में पालतू पशुओं के स्वामित्व के पंजीकरण की प्रक्रिया को नियमित करें, जिससे पालतू पशुओं की संख्या की निगरानी में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों और जारी की गई परामर्शी का विवरण अनुबंध-3 में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

पशु कल्याण पहलों में विशेष रूप से स्कूली बच्चों के बीच जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

1. एडब्ल्यूबीआई लगातार पशु कल्याण संगठनों और व्यक्तियों को मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि (HAWR) के रूप नामित करके उन्हें पोस्टर प्रतियोगिताओं, चित्रकला प्रतियोगिताओं और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं जैसे कार्यकलापों का आयोजन करके स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पशुओं के प्रति करुणा को बढ़ावा देना और बेहतर, अधिक जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में मदद करना है।
2. इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए, एडब्ल्यूबीआई ने स्कूली बच्चों के लिए दो आयु समूहों में शैक्षिक मॉड्यूल तैयार किए हैं कक्षा :V-VIII और कक्षा IX-XII। ये मॉड्यूल जागरूकता बढ़ाने और छात्रों को पशु कल्याण के बारे में संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। कक्षा V-VII के लिए, विषयों में पशुओं के प्रति करुणा, पशु व्यवहार, पशु क्रूरता, जिम्मेदार पालतू पशु स्वामित्व और पशु से संबंधित अंधविश्वास शामिल हैं। कक्षा IX-XII के लिए, मॉड्यूल में अधिक उन्नत विषयों को शामिल किया गया है, जैसे पालतू और सड़क पर रहने वाले पशुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता, संघर्ष शमन, पशु कल्याण में उपलब्धियां, पशु कल्याण और धारणीयता, मानव स्वास्थ्य और अहिंसा (भारत में संस्कृति और विरासत)। इन मॉड्यूल का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्ये क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को भेजा गया है।
3. एडब्ल्यूबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं कि इसका संदेश छोटे बच्चों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। इसके अलावा, राज्य सरकारों और पशु कल्याण संगठनों द्वारा आयोजित नियमित सेमिनार, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम जनता, विशेष रूप से पशु प्रेमियों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4. एडब्ल्यूबीआई पशु कल्याण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से परामर्शी और परिपत्र जारी करता है। ये परामर्शियां पशु कल्याण संबंधी चिंताओं पर जोर देने के लिए पशु कल्याण पखवाड़ा (दिनांक 14 से 30 जनवरी), विश्व पशु दिवस, विश्व रेबीज दिवस, दीपावली के मानवीय समारोहों तथा गर्मियों और सर्दियों के मौसम में जारी की जाती हैं।
5. इसके अलावा, एडब्ल्यूबीआई मानद पशु कल्याण प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और अपने स्थानीय क्षेत्रों में सामुदायिक पशुओं की देखभाल करने वाले दयालु व्यक्तियों को कॉलोनी एनिमल केयरटेकर प्राधिकरण पत्र जारी करता है। ये प्रयास पशुओं की भलाई को बढ़ावा देने और एक करूणामय समाज को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

अनुबंध-2

अमरोहा, उत्तर प्रदेश को जारी किए गए जागरूकता संबंधी पत्र

क्र. सं.	शिकायत की तिथि	शिकायत का विषय	जिसे पत्र जारी किया गया
1	दिनांक 31.05.2022	अमरोहा में आवारा पशुओं की जान बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध	दिनांक 31.05.2022 को जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा, उत्तर प्रदेश को पत्र जारी किया गया।
2	दिनांक 13.04.2024	अमरोहा जिले में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 और एडब्ल्यूबीआई मॉड्यूल के प्रावधानों को लागू करने का अनुरोध किया गया।	सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड एवं निदेशक, पशुपालन विभाग, पशुपालन निदेशालय, गोकर्णनाथ रोड, बादशाह बाग, लखनऊ एवं नगर आयुक्त नगर निगम अमरोहा को दिनांक 24.04.2024 को पत्र जारी किया गया।
3	दिनांक 07.02.2025	उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक सामुदायिक कुत्ते पर हमला करने और उसे मार डालने के आरोप में पिटबुल के मालिक के खिलाफ शिकायत	सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड एवं निदेशक, पशुपालन विभाग, पशुपालन निदेशालय, गोकर्णनाथ रोड, बादशाह बाग, लखनऊ को दिनांक 04.03.2025 को पत्र जारी किया गया।

अनुबंध-3

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों और जारी परामर्शियों का विवरण

1. केंद्र सरकार ने पशुओं के अवैध प्रजनन को विनियमित करने और पालतू पशुओं की बिक्री या व्यापार को विनियमित करने के लिए क्रमशः पशु के प्रति क्रूरता का निवारण नियम (कुत्ते प्रजनन और विपणन), और पशु 2017के प्रति क्रूरता का निवारण पालतू)पशुओं की दुकाननियम (, 2018को भी अधिसूचित किया है। इन नियमों को संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जा रहा है।
2. एडब्ल्यूबीआई ने आवारा कुत्तों और पालतू पशुओं के संबंध में कई परामर्शियां जारी की हैं:

क) पालतू कुत्ते और स्ट्रीट डॉग संबंधी परिपत्र दिनांक 26.02.2015
ख) पशुओं के प्रति दया दिखाने वाले नागरिकों को परेशान करने के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी DGP को दिनांक 25-08-2015 और दिनांक 28.10.2015 को जारी परिपत्र
ग) आवारा पशुओं के बचाव और पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिनांक 12-07-2018 को जारी परामर्शी
घ) प्रत्येक जिले में आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त संख्या में भोजन स्थलों की पहचान करने और (पालतू कुत्तों और स्ट्रीट डॉग पर एडब्ल्यूबीआई के संशोधित दिशानिर्देश) को ठीक से लागू करने के लिए दिनांक 03.03.2021 को जारी परामर्शी
ङ) सामुदायिक पशुओं को गोद लेने के लिए मानक प्रोटोकॉल को ठीक से लागू करने और परिचालित करने का अनुरोध, दिनांक 17.05.2022
च) कुत्तों पर थूथन के उपयोग और सामुदायिक कुत्तों की देखभाल के लिए दिशानिर्देश, दिनांक 17.08.2022
छ) एबीसी नियम, 2023 के प्रावधान को लागू करने के लिए प्रधान सचिव, शहरी विकास और पशुपालन के साथ-साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों के नगर निगम आयुक्त से अनुरोध, दिनांक 31.03.2023
ज) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट से एबीसी नियम, 2023 के प्रावधान को लागू करने का अनुरोध, दिनांक 30.05.2023

******